[2019] 2 एस. सी. आर. 664

ए. एस. जी. आर. और ओ. आर. एस.

वी.

मोहन वर्मा और ओआरएस।

(2019 की सिविल अपील संख्या 1500)

फरवरी 05,2019

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड और

हेमंत गुप्ता, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-स्पष्टीकरण IV से एस। 11 और Or.XXI rr। 97 101-रचनात्मक रेस जुडिकाटा-उत्तरदाता

अनुसूची 'बी' संपत्ति के कब्जे के वितरण के लिए निष्पादन याचिका-अपीलार्थियों द्वारा यह घोषणा करने के लिए आवेदन कि

वे पट्टेदार के रूप में संपत्ति पर कब्जा करने के हकदार थे और बेदखल होने के लिए उत्तरदायी नहीं थे-जिला न्यायालय द्वारा स्वीकृत आवेदन-हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के दावे को खारिज कर दिया एसएलपी को भी खारिज कर दिया-अपीलकर्ताओं ने नई कार्यवाही शुरू की

और अन्य बातों के साथ-साथ, संपत्ति पर सुधार के मूल्य के भुगतान के लिए एक निर्देश की मांग की, इसके वितरण के लिए एक आदेश से पहले

कब्जा कर लिया गया था-जिला अदालत की रिट याचिका द्वारा आवेदन खारिज कर दिया गया-उच्च न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए दावे रचनात्मक न्यायपालिका के सिद्धांत द्वारा वर्जित थे-अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि न तो जिला न्यायालय और न ही उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए दावे के गुण-दोष की जांच की है। अधिनियम, 1958 की धारा 4 (1)-आयोजितः वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता डिक्री के लिए अजनबी थे-उन्हें उस दावे को प्राप्त करने की आवश्यकता थी उनके निष्पादन आवेदन के दौरान निर्णय लिया गया जो या के प्रावधानों के लिए संदर्भित था। XXI, r. 97 - उस स्तर पर दावे का दावा करने में विफल रहने के कारण, डीमिंग फिक्शन स्पष्टीकरण IV से एस में निहित है। 11 स्पष्ट रूप से आकर्षित है-एक मुद्दा जिसे अपीलकर्ताओं ने कार्यवाही के पहले दौर में उठाया था और जिसे मुद्दा माना जाना चाहिए था, वह प्रत्यक्ष रूप से और पर्याप्त रूप से मुद्दा था-उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में उचित था कि अपीलकर्ताओं की विफलता का परिणाम रचनात्मक न्यायपालिका के सिद्धांत के अनुप्रयोग में होगा, दोनों

एसएस के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए। 4 और 1958 के अधिनियम के 5 और या के प्रावधानों के लिए। XXI, rr. 97 सी. पी. सी.-केरल के 101 तक

किरायेदार सुधार अधिनियम, 1958 के लिए क्षतिपूर्ति। 4 और 5.

अपीलार्थियों ने निष्पादन कार्यवाही में यह घोषणा करने के लिए आवेदन दायर किया कि वे पट्टेदार के रूप में संपत्ति पर कब्जा करने के हकदार हैं। जिला न्यायालय ने आवेदन को स्वीकार कर लिया। दुखी,

प्रतिवादियों ने उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया और अपीलार्थियों द्वारा दायर दावे की याचिकाओं को खारिज कर दिया। एसएलपी को भी खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, अपीलार्थी नई कार्यवाही शुरू की और भुगतान के लिए निर्देश मांगे

कब्जा देने का आदेश दिए जाने से पहले, संपत्ति पर सुधार के मूल्य के बारे में उन्हें। उक्त आवेदन जिला न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थियों द्वारा किए गए दावों को न्यायिक निर्णय के सिद्धांत द्वारा वर्जित किया गया था। इसलिए, विशेष अनुमति याचिका।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1. कानून में तय स्थिति को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी इसके हकदार थे, हालांकि वे इसके लिए अजनबी थे

निष्पादन कार्यवाही। वास्तव में अपीलकर्ताओं ने ऐसा दावा किया था। उन्होंने पट्टेदारों के चरित्र में कब्जे में रहने के लिए अपनी पात्रता की घोषणा की मांग की। आदेश XXI नियम के तहत 97 , वे अपने बेदखल होने से पहले भी एक स्वतंत्र दावा करने के हकदार थे। आदेश XXI नियम 101 के तहत, सभी

प्रश्नों पर निर्णय आवेदन से निपटने वाली अदालत द्वारा किया जाना चाहिए न कि एक अलग मुकदमे द्वारा। नियम 101, आदेश XXI में निर्दिष्ट प्रश्नों के निर्धारण पर

नियम 98 न्यायालय को आवश्यक आदेश जारी करने का अधिकार देता है। निर्णय का परिणाम नियम 103 के तहत एक डिक्री है।

[पैरा 39] [690-डी-एफ]

2. दावा जिसे अपीलकर्ताओं ने अब केरल मुआवजे की धारा 4 (1) के तहत मुआवजे के लिए दावा करने की मांग की है।

किरायेदार सुधार अधिनियम, 1958 आंतरिक रूप से उस दावे से संबंधित है जिसे उन्होंने कार्यवाही के पहले दौर में कब्जे में रखने का दावा किया था। वास्तव में, अपीलार्थी इस आधार पर डिक्री के निष्पादन का विरोध करना चाहते हैं कि वे तब तक कब्जे में बने रहने के हकदार हैं जब तक कि मुआवजे के लिए उनका दावा निर्णय पर निर्धारित नहीं किया जाता है और भुगतान नहीं किया जाता है। ऐसा दावा सी. पी. सी. की धारा 11 के स्पष्टीकरण IV के दायरे में आता है। इस तरह की

दावा निश्चित रूप से [2019] 2 एस. सी. आर. के पहले दौर में किया जा सकता था।

कार्यवाही। इसके अलावा, दावा कार्यवाही के पहले दौर में किया जाना चाहिए था। आदेश XXI नियम 97 से 103 के प्रावधान एक पूर्ण संहिता का गठन करते हैं और एक मुकदमे के पक्षों और एक डिक्री के लिए एक अजनबी दोनों को एकमात्र उपाय प्रदान करते हैं। अधिकार, शीर्षक और ब्याज से संबंधित सभी प्रश्न जो

अपीलार्थियों ने दावा किया कि पहले के निष्पादन आवेदन में आग्रह किया जाना था और उसमें निर्णय लिया जाना था। कोई अन्य दृष्टिकोण रखने से केवल कार्यवाही की बहुलता होगी और डिक्री धारक द्वारा डिक्री के फल को प्राप्त करने में अंतहीन रूप से देरी होगी। [पैरा 40] [690-एफ-एच; 691-ए-बी]

3. यह दृष्टिकोण 1958 के अधिनियम के प्रावधानों द्वारा समर्थित आदेश XXI के नियम 97 से 103 पर पूर्ववर्ती की सुसंगत रेखा के बाद अपनाया गया है। धारा 4 (1) के तहत एक दावे को अदालत को संबोधित किया जाना है जो बेदखली के लिए एक डिक्री पारित करता है। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी डिक्री के लिए अजनबी हैं। उन्हें अपने निष्पादन आवेदन के दौरान उस दावे का न्यायनिर्णयन कराने की आवश्यकता थी जो निम्नलिखित प्रावधानों के लिए संदर्भित थाः

आदेश XXI नियम 97। उस स्तर पर दावा करने में विफल रहने के कारण,

धारा 11 के स्पष्टीकरण IV में निहित काल्पनिक कथा स्पष्ट रूप से आकर्षित करती है। ऐसा मुद्दा जिसे अपीलकर्ताओं ने कार्यवाही के पहले दौर में उठाया था और जिसे उठाना चाहिए था, प्रत्यक्ष रूप से और काफी हद तक मुद्दा माना जाता है। उच्च न्यायालय, मामले के इस दृष्टिकोण में, इस निष्कर्ष पर पहुंचने में पूरी तरह से उचित था कि अपीलकर्ताओं की दावा करने में विफलता के परिणामस्वरूप 1958 के अधिनियम की धारा 4 और 5 के प्रावधानों और सी. पी. सी. के आदेश XXI नियम 97 से 101 के प्रावधानों दोनों को ध्यान में रखते हुए रचनात्मक न्यायपालिका के सिद्धांत को लागू किया जाएगा। [पैरा 41] [691-सी-ई]

डायरेक्ट रिक्रूट क्लास II इंजीनियरिंग। ऑफिसर्स एसोसिएशन। वी. महाराष्ट्र राज्य (1990) 2 एससीसी 715: [1990] 2 एससीआर 900 - पीछा किया।

ब्रह्मदेव चौधरी बनाम। ऋषिकेश प्रसाद जैसवाल (1997) 3 एस. सी. सी. 694: [1997] 1 एस. सी. आर. 463-निर्भर। शम्मा भट्ट बनाम। टी रामकृष्ण भट्ट (1987) 2 एस. सी. सी. 416; कामेश्वर पर्सद बनाम। राजकुमारी रुट्टुन कोएर ए. एस. जी. आर. और ओ. आर. एस.

वी. मोहन वर्मा और ओआरएस।

हुसैन (1977) 2 एससीसी 806: [1977] 3 एससीआर 428; फॉरवर्ड कंस्ट्रक्शन कं. वी. प्रभात मंडल (विनियमित),

अंधेरी (1986) 1 एस. सी. सी. 100 [1985] 3 पूरक। एससीआर

766 ; श्रीनाथ वी. राजेश (1998) 4 एससीसी 543: [1998] 2 एस. सी. आर. 709; हर विलास बनाम। महेंद्र नाथ (2011) 15 एससीसी

377 – संदर्भित किया गया। दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम नगरपालिका

दिल्ली आई. एल. आर. निगम (1975) II दिल्ली 174;

नुसेरवानजी ई पूनेगर बनाम। श्रीमती शिरीनबाई एफ. बेसेनिया एयर 1984 बम 357 का उल्लेख किया गया है।

हेंडरसन बनाम। हेंडरसन 67 ई. आर. 313; ग्रीनहल्ग बनाम

मालार्ड (1947) 2 ऑल ई. आर. 255; जॉनसन बनाम। गोर वुड

& को (एक फर्म) [2001] 2 डब्ल्यू. एल. आर. 72-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

1987) 2 एस. सी. सी. 416

संदर्भित किया गया है

पैरा 27

1977] 3 एससीआर 428

संदर्भित किया गया है

पैरा 33

1990] 2 एससीआर 900

पीछा किया।

पैरा 33

1985] 3 पूरक। एससीआर 766

संदर्भित किया गया है

पैरा 33

1997] 1 एससीआर 463

उस पर भरोसा करें

पैरा 35

1998] 2 एससीआर 709

पैरा 36

संदर्भित किया गया है

2011) 15 एससीसी 377

संदर्भित किया गया है

पैरा 37

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं।

एफ 2019।

उच्च न्यायालय के 11.12.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश से

ओ. पी. में एर्नाकुलम में केरल। (ग) 2015 की सं. 2125

वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एम. गिरीश कुमार, अमित कृष्णन, एस. वी.

हंकर, अंकुर एस. कुलकर्णी, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

गौरव बनर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सी. के. सासी, सुश्री नयनतारा रॉय, अब

नसीह, सुश्री राका चटर्जी, सुश्रो पी. मुखर्जी, साहिल टागोत्रा,

या उत्तरदाताओं।

9] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील केरल उच्च न्यायालय के 11 दिसंबर 2015 के एक फैसले से उत्पन्न होती है। संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपीलकर्ताओं द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ताओं द्वारा निष्पादन अदालत के समक्ष किए गए दावे का मूल्य केरल कम्पेनसेशन फॉर टेनेंट्स इम्प्रूवमेंट्स एक्ट 1958 1 के तहत विवादित भूमि पर उनके द्वारा किए गए कथित सुधारों को रचनात्मक न्यायपालिका के सिद्धांत द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने निष्पादन न्यायालय के इस निष्कर्ष को बरकरार रखा कि अपीलार्थी संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 2 की धारा 51 के तहत मुआवजे का दावा करने के हकदार नहीं हैं।

3. विवाद की उत्पत्ति को समझाने की आवश्यकता है। 914 एकड़ की संपत्ति मूल रूप से वेंगुनाडु की थी।

कोल्लेनगोडे का कोविलकम। प्रकृति की प्रचुरताओं के अनुसार, इसमें कॉफी, इलायची, संतरे और काली मिर्च के बागान शामिल थे। 25 नवंबर 1897 को 909 एकड़ संपत्ति विलियम एस्पेंट्स वाट्स एस्क्वायर को 75 साल की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई। बाद में हस्तांतरण द्वारा, पट्टे के अधिकार एंग्लो अमेरिकन डायरेक्ट टी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("एंग्लो अमेरिकन कॉर्पोरेशन") को हस्तांतरित और निहित किए गए। 17 अक्टूबर 1931 को बंगला स्थल के रूप में वर्णित 5 एकड़ के क्षेत्र को एंग्लो अमेरिकन के पक्ष में पट्टे पर दिया गया था।

43 वर्ष की अवधि के लिए निगम। 1945 में, एंग्लो अमेरिकन निगम ने संपत्ति पर अपना अधिकार अमालगामेटेड कॉफी एस्टेट लिमिटेड को सौंप दिया।

4. प्रतिवादियों द्वारा संपत्ति के कुछ हिस्सों के संबंध में जिला न्यायाधीश, पलक्कड़ के समक्ष विभाजन 3 के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था।

5. 7 अगस्त 1969 को, अमालगामेटेड कॉफी एस्टेट लिमिटेड ने मैथ्यू टी मराट्टुकुलम को 410 एकड़ भूमि, श्रीमती अन्नाकुट्टी मैथ्यू के पक्ष में 329 एकड़ और फिलोमिना थॉमस के पक्ष में 175 एकड़ भूमि पर अपना अधिकार सौंपा। " " 1958 का अधिनियम 2 टी. पी. अधिनियम

(1964 का ओ. एस. नंबर 1)

ए. एस. जी. आर. और ओ. आर. एस. वी. मोहन वर्मा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

6. 1897 का पट्टा विलेख 1972 में समय के प्रवाह के कारण समाप्त हो गया। इस तथ्य के बावजूद कि पट्टे की अवधि समाप्त हो गई थी, उपरोक्त तीन

28 अगस्त 1978 को मेसर्स के. जे. प्लांटेशन के पक्ष में संपत्ति के संबंध में अपने अधिकार सौंपे गए। 23 जून 1990 को, एक पावर ऑफ अटॉर्नी के अनुसरण में कार्य करते हुए कथित रूप से के द्वारा निष्पादित किया गया था

एम. एस. एम. हनीफा के पक्ष में जे. प्लांटेशन ने याचिकाकर्ताओं और मेसर्स साउथ कोस्ट स्पाइसेज एक्सपोर्ट लिमिटेड के पक्ष में आठ बिक्री विलेख निष्पादित किए। 1991 में, मेसर्स के. जे. प्लांटेशन ने अधीनस्थ न्यायाधीश, पलक्कड़ के समक्ष एक मुकदमा दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एम. एस. एम. हनीफा के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी और आठ बिक्री विलेखों को रद्द करने की मांग की गई।

7. 27 मई 1995 को, पलक्कड़ के अधीनस्थ न्यायाधीश ने संपत्ति को सौ बराबर शेयरों में विभाजित करने का आदेश दिया, जिसमें से चालीस बराबर थे।

मेसर्स के. जे. बागानों को आबंटित किया जाएगा और साठ अन्य समनुदेशकों को। याचिकाकर्ताओं को 274.20 एकड़ का एक क्षेत्र सौंपा गया था।

8. 21 फरवरी 2003 को, जिला न्यायाधीश, पलक्कड़ ने विभाजन के मुकदमे में एक अंतिम आदेश पारित किया। उत्तरदाताओं ने अनुसूची 'बी' संपत्ति के कब्जे के वितरण के लिए 17 नवंबर 2008 को 1964 के ओएस नंबर 1 में 2002 की निष्पादन याचिका संख्या 7 की स्थापना की। जब अमीन डिलीवरी करने के लिए आया, तो अपीलकर्ताओं और अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों ने बाधा उत्पन्न की।

सिविल प्रक्रिया संहिता 19085 के आदेश XXI नियम 99 के तहत 2009 का 33 (राष्ट्रीय मसाला कंपनी द्वारा दायर), 2009 का 38 (याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर) और 2009 का 41 (के. जे. प्लांटेशन द्वारा दायर) आवेदन। उनमे आवेदनों में, आवेदकों ने अन्य बातों के साथ-साथ यह घोषणा करने की मांग की कि वे पट्टेदार के रूप में संपत्ति पर कब्जा करने के हकदार हैं और बेदखल होने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

10. जिला न्यायाधीश, पलक्कड़ ने 6 जनवरी 2010 के एक फैसले द्वारा 2009 के 33,38 और 41 निष्पादन आवेदनों को अनुमति दी। जिला न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ताओं ने यह स्थापित किया था कि उनका एक स्थायी हित था और इसके परिणामस्वरूप संपत्ति के कब्जे में थे

जिला न्यायालय के आदेश के दृष्टिकोण से, उत्तरदाताओं को, डिक्री धारकों के रूप में, वास्तविक भौतिक कब्जे के वितरण का हकदार नहीं माना गया था संपत्ति और उनका उपाय यह होगा कि अपीलार्थियों को पक्षकारों के रूप में शामिल करते हुए मुकदमा दायर किया जाए।

1991 का ओएस सं. 553

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11. जिला न्यायाधीश, पलक्कड़ के आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थियों ने वर्णित कार्यवाही में केरल उच्च न्यायालय का रुख किया

2010 की निष्पादन प्रथम अपील संख्या 12 के रूप में। 29 तारीख के अपने फैसले के अनुसार

जून 2012 में, उच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया और प्रत्यर्थियों की दलीलों को बरकरार रखते हुए, अपीलार्थियों द्वारा दायर दावा याचिकाओं को खारिज कर दिया।

12. 25 जुलाई 2014 को संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत दायर एक विशेष अनुमति याचिका को इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मामलों में खारिज कर दिया गया थाः

शर्तेंः

" पक्षों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील और विद्वान वकील को सुना।

विशेष अनुमति याचिकाएँ खारिज कर दी जाती हैं।

एस. एल. पी. में अभियोग लगाने के लिए आवेदकों-रवि वर्मा थम्पन और शारदा थम्पट्टी द्वारा 2014 के अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 5 में कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। (सिविल) 2012 की सं. 27268 विशेष अनुमति याचिका और आवेदन को खारिज करने की दृष्टि से निपटाया जाता है।

जहाँ तक याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए सुधारों के मुआवजे का सवाल है, याचिकाकर्ता आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं।

कानून के अनुसार उनकी शिकायत के निवारण के लिए उचित उपाय।

13. 24 अक्टूबर 2014 को, अपीलकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ-साथ 2008 के ई. पी. संख्या 7 में 2014 की ई. ए. संख्या 414 के रूप में नई कार्यवाही शुरू की।

कब्जा देने का आदेश दिए जाने से पहले संपत्ति पर सुधार के मूल्य के भुगतान के लिए एक निर्देश। आवेदन का विरोध करते हुए उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि दावा

सी. पी. सी. की धारा 11 के स्पष्टीकरण IV के तहत रचनात्मक न्याय के सिद्धांत द्वारा वर्जित किया गया था।

14. 26 जून 2015 के एक फैसले और आदेश द्वारा, प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वे संपत्ति के हस्तांतरणकर्ता नहीं थे और इसलिए कथित सुधारों का मूल्य मांगने के लिए अयोग्य थे। टी. पी. अधिनियम की धारा 51 के तहत उनके द्वारा बनाया गया था। एडीजे के समक्ष कार्यवाही के दौरान, यह केवल धारा 51 के तहत दावा था जिसे दबाया गया था। 1958 के अधिनियम के तहत दावा आगे नहीं बढ़ाया गया था। ए. डी. जे. ने प्रत्यर्थियों की इस दलील को खारिज कर दिया कि निष्पादन में दावा रचनात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत द्वारा वर्जित था।

न्यायपालिका। हालांकि, गुण-दोष पर एडीजे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दावा टीपी अधिनियम की धारा 51 के तहत बनाए रखने योग्य नहीं था।

ए. एस. जी. आर. और ओ. आर. एस. वी. मोहन वर्मा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।]

15. संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक रिट याचिका 3 सितंबर 20156 को केरल उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी। 11 दिसंबर 2015 के अपने आदेश और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अन्य बातों के साथ कहा गया था किः

अपीलार्थियों द्वारा मूल्य के लिए किए गए दावे

संपत्ति में कथित सुधार किए गए थे

रचनात्मक न्यायपालिका के सिद्धांत द्वारा वर्जित; और

अपीलार्थी, जो हस्तांतरणकर्ता नहीं थे, किसी भी स्थिति में हकदार नहीं थे।

टी. पी. अधिनियम की धारा 51 के तहत दावा करना।

16. उच्च न्यायालय के फैसले पर जोर देते हुए, श्री वी. गिरि, विद्वान या वकील ने आग्रह किया किः

न तो जिला न्यायालय और न ही उच्च न्यायालय ने धारा के तहत अपीलार्थियों द्वारा किए गए दावे के गुण-दोष की जांच की है।

4 (1) 1958 के अधिनियम का;

इससे पहले की कार्यवाही में उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के फैसले से यह स्पष्ट किया गया था कि अदालत अधिनियम 1958 की धारा 4 (1) के तहत अपीलार्थियों के हक में नहीं जा रही थी क्योंकि "यह कोई सवाल नहीं है जो दावा याचिकाओं पर आदेश से उत्पन्न होता है"। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह केवल यह अभिनिर्धारित कर रहा था कि अपीलकर्ताओं का पट्टा अधिकार रखने का दावा था

योग्यता के बिना;

जब मामला इस न्यायालय में गया, तो अपीलार्थियों को उनके मामलों के निवारण के लिए उचित उपाय करने की स्वतंत्रता दी गई।

मुआवजे के भुगतान के संबंध में शिकायत कानून के अनुसार उनके द्वारा किए गए सुधार;

एक बार जब उच्च न्यायालय ने 1958 के अधिनियम के तहत मुआवजे के दावे की जांच करने से इनकार कर दिया था और इस न्यायालय ने विशेष रूप से कानून के तहत उपचार का सहारा लेने के अधिकार को खुला रखा था, तो रचनात्मक न्यायपालिका के सिद्धांत का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा।

सी. पी. सी. की धारा 11 के स्पष्टीकरण IV में, "हो सकता है और होना चाहिए" अभिव्यक्ति का संयुग्म रूप से अर्थ लगाया जाना चाहिए। इसलिए, केवल इसलिए कि 1958 के अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा किया जा सकता है

निष्पादन में पिछली कार्यवाही में उठाया गया है

आवेदन, जो अपीलार्थियों को नया आवेदन दाखिल करने से नहीं रोकता है

आवेदन;

2015 [2019] की याचिका (ग) सं. 2125 2 एस. सी. आर.

(vi) परीक्षण यह होना चाहिए कि क्या दावे को उठाने की अनुमति देना प्रक्रिया के दुरुपयोग के रूप में माना जा सकता है और यह केवल तब होता है जब दावा ऐसी प्रकृति का होता है जिसका आग्रह किया गया हो और जिसे पिछली कार्यवाही में आग्रह किया जाना चाहिए था, कि

न्यायपालिका आकर्षित होगी;

(vii) टी. पी. अधिनियम की धारा 51 के तहत केवल दावे का दावा करने वाली पिछली कार्यवाही में वकील द्वारा दी गई रियायत, 1958 के अधिनियम की धारा 4 के तहत सुधार के लिए दावा करने से अपीलार्थियों के खिलाफ एक अवरोध के रूप में काम नहीं करेगी; (viii) अपीलार्थियों द्वारा दायर किया गया दूसरा आवेदन एक प्रकृति का था जिसे उन्होंने उठाया होता यदि उत्तरदाताओं ने सी. पी. सी. के आदेश XXI नियम 97 के तहत आवेदन दायर किया होता। तब से

उत्तरदाताओं ने आदेश XXI नियम 97 के तहत कोई आवेदन दायर नहीं किया, लेकिन यह अपीलकर्ता थे जिन्होंने आदेश XXI नियम 99 के तहत आवेदन दायर किया था, रचनात्मक न्यायपालिका का बार आकर्षित नहीं है;

और

(ix) वर्तमान स्तर पर अपीलार्थियों का दावा पट्टेदारों के चरित्र में नहीं है (क्योंकि पट्टेदार के रूप में उनका दावा पहले खारिज कर दिया गया था) बल्कि एक निर्णय-देनदार के रूप में है जो तब तक कब्जा बनाए रखने का हकदार है जब तक कि उनके द्वारा भूमि पर किए गए सुधारों का मूल्य 1958 के अधिनियम की धारा 4 के तहत भुगतान नहीं किया जाता है। न्यायिक चरित्र जिसमें धारा 4 के तहत दावा किया जाता है, इसलिए उनके पहले के दावे से अलग है क्योंकि पट्टेदार अधिकार के हकदार हैं।

भूमि को।

17. इन दलीलों का विरोध करते हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गौरव बनर्जी ने कहा किः

((i)

2009 का निष्पादन आवेदन संख्या 38 सार में एक नहीं था

आदेश XXI नियम 99 के तहत लेकिन आदेश XXI नियम के तहत आवेदन

97 सी. पी. सी.;

((ख)

इस न्यायालय द्वारा आदेश XXI नियम 97 की व्यापक रूप से व्याख्या की गई है -

किसी तीसरे पक्ष को भी इससे पहले निष्पादन अदालत में जाने की अनुमति दें।

एक डिक्री के अनुसरण में विस्थापन होता है;

(iii)

आदेश XXI के नियम 97 से 103 के प्रावधान

पूरा कोड। वे पक्षों और अजनबियों के लिए एक कार्यवाही का एकमात्र उपाय प्रदान करते हैं जो सिविल के डिक्री में समाप्त हो गया है।

अदालत; एएसजीआर और ओआरएस। वी. मोहन वर्मा और ओआरएस।

जे.]

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़,

पूर्ववर्ती कार्यवाहियों के बाद जो निर्णय हुआ वह आदेश XXI नियम 103 के तहत एक डिक्री की प्रकृति का था। अपीलार्थी वर्तमान में जिन सभी दावों का आग्रह करना चाहते हैं, वे पहले की कार्यवाही में उठाए जा सकते थे और उठाए जाने चाहिए थे। अपीलार्थी, ऐसा करने में विफल रहने के कारण, रचनात्मक न्यायनिर्णायक का बार है

चौकोर रूप से आकर्षित;

1958 के अधिनियम के तहत दावा 1958 के अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के कारण पिछली कार्यवाही में उठाया जाना चाहिए था। धारा 5 में कहा गया है कि डिक्री पारित होने से पहले ऐसे प्रत्येक दावे को उठाया जाना चाहिए और उस पर निर्णय लिया जाना चाहिए। इसलिए कब्जा करने का हकदार होने का बचाव, जब तक कि सुधारों का मूल्य भुगतान नहीं किया जाता है, पहले में उठाया जाना चाहिए था

कार्यवाही; आदेश XXI नियम 101 की भाषा आकस्मिक है। उच्च न्यायालय का आदेश आदेश XXI के तहत एक डिक्री का गठन करता है

नियम 103;

1958 के अधिनियम के तहत मुआवजे का सवाल आंतरिक रूप से अपीलकर्ताओं के कब्जे को बनाए रखने के दावे से जुड़ा हुआ है जब तक कि कथित सुधारों के मूल्य का भुगतान नहीं किया जाता है। कार्यवाही के पिछले दौर में, प्रार्थना कब्जे को बनाए रखने के लिए थी और इसलिए दावा उठाया जा सकता था और जब डिक्री पारित की गई थी तो इसे संबोधित किया जाना चाहिए था। और

एडीजे के समक्ष दूसरा आवेदन सीपीसी की धारा 151 के तहत था। अपीलार्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा टीपी अधिनियम की धारा 51 के तहत केवल दावे का आग्रह करने के लिए एक सचेत निर्णय लिया गया था। एक बार जब उस दावे को खारिज कर दिया जाता है, तो अपीलकर्ताओं के लिए 1958 के अधिनियम के तहत दावे को नए सिरे से दायर करने की अनुमति नहीं है।

कार्यवाही। यदि यह मुद्दा पहले उठाया गया होता, तो उत्तरदाताओं को 1958 के अधिनियम के तहत छूट के लिए दावा करने का अधिकार होता। एक बार जब कब्जे का मुद्दा समाप्त हो जाता है, तो अपीलकर्ताओं के लिए अपने कब्जे की रक्षा करने के लिए खुला नहीं है, भले ही

1958 के अधिनियम के तहत मुआवजे के दावे का आधार। 18. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ अब विचार के लिए आती हैं।

19. हमें इस अपील में विवाद का अपना विश्लेषण केरल उच्च न्यायालय के एक खंड एच द्वारा 29 जून 2012 को दिए गए निर्णय के संदर्भ में शुरू करना चाहिए। एराला उच्च न्यायालय के समक्ष निष्पादन में पहली अपील [2019] 2 एस. सी. आर. में जिला न्यायाधीश के फैसले से उत्पन्न हुई।

निर्वाह ब्याज, उन्हें संपत्ति के कब्जे में बने रहने का अधिकार देता है। अपीलकर्ताओं ने 1972 में पट्टे के मूल विलेख की समाप्ति के बाद एक कथित कार्य के तहत दावा किया। न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ (उस समय विद्वान न्यायाधीश के रूप में) ने खंड पीठ की ओर से बोलते हुए कहा कि एक किरायेदार "पीड़ित" केवल गैरकानूनी के खिलाफ सुरक्षा का हकदार है निष्कासन। समनुदेशकों के रूप में, पीड़ित किरायेदार किसी भी संपत्ति या संपत्ति के हकदार नहीं थे और कब्जे में रहने का अधिकार नहीं दिया जा सकता था। नतीजतन, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने निर्णय दियाः

" 56. हमें इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि स्थानांतरण धोखाधड़ी वाले हैं। हमारा मानना है कि कोई संपत्ति या संपत्ति नहीं थी।

जिसे एक्सट में समनुदेशकों द्वारा या तो स्थानांतरित किया जा सकता था। उक्त आधार पर ए 6 या बाद के समनुदेशकों। कब्जा अपने आप में किसी के बिना बदले हुए हाथों के रूप में माना जा सकता है कानूनी अधिकार "।

अपनी चर्चा का समापन करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा किः

" 59. उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि हम निष्कर्षों और नीचे दी गई अदालत द्वारा दिए गए निर्णय को उलटने के लिए इच्छुक हैं। हमारा मानना है कि उत्तरदाता धारण करके किरायेदारों के रूप में दावा नहीं कर सकते हैं। न ही वे पीड़ित किरायेदारों के रूप में किसी भी अधिकार का दावा कर सकते हैं। परिणाम यह है कि उनके पास अधिकार हो सकता है, लेकिन यह उनके साथ नहीं है। किसी भी अधिकार से। '

20. अब इस पृष्ठभूमि में, 2009 के निष्पादन आवेदन 38 में अपीलार्थियों द्वारा मांगी गई राहतों का विज्ञापन करना आवश्यक है।

2008 की निष्पादन याचिका 7 में उनके द्वारा स्थापित। वे जिन राहतों की मांग कर रहे थे, वे निम्नलिखित शब्दों में थेः

" ए) याचिकाकर्ताओं के कब्जे के दावे को यहाँ अनुसूची में शामिल 274.20 एकड़ संपत्ति पर पट्टेदार के रूप में स्थापित करना और घोषित करना और अनुसूची में भी शामिल करना

निष्पादन याचिका;

बी) उत्तरदाताओं को 1 से 6 घोषित करना याचिकाकर्ताओं को उनके कब्जे वाली संपत्तियों से बेदखल करने और लेने का हकदार नहीं है।

उसी की वास्तविक डिलीवरी; "

21. स्पष्ट रूप से, अपीलकर्ताओं ने जो मांगा वह एक घोषणा थी कि उनका कब्जा पट्टेदार के रूप में उनके चरित्र में सुरक्षा का हकदार था।

274.20 एकड़ जमीन। ए. एस. जी. ए. आर. एंड ओ. आर. एस. निष्पादन आवेदन में कोई दावा स्थापित नहीं किया गया था।

वी. मोहन वर्मा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

1958 के अधिनियम की धारा 4 (1) में निहित प्रावधानों के आधार पर। जब कार्यवाही उच्च न्यायालय के समक्ष थी, अपीलकर्ताओं ने आग्रह किया कि "यह ध्यान में रखा जा सकता है" कि वे 1958 के अधिनियम के तहत मुआवजे के हकदार होंगे। इसके अलावा, उन्होंने भी आह्वान किया टीपी अधिनियम की धारा 51। प्रत्यर्थियों ने इस आधार पर आपत्ति जताई, जैसा कि उच्च न्यायालय ने दर्ज किया है, कि "दावों में ऐसा कोई मामला नहीं है और वे ऐसा दावा नहीं कर सकते हैं"। प्रस्तुत करने के लिए विज्ञापन

अपीलकर्ताओं ने कहा कि 1958 के अधिनियम के तहत उनका दावा था, उच्च न्यायालय ने कहा किः

" 62. हम महसूस करते हैं कि हमें इस प्रश्न में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह ऐसा प्रश्न नहीं है जो दावा याचिकाओं पर आदेश से उत्पन्न होता है। वास्तव में, क्या उत्तरदाता/दावेदार उक्त मुद्दे को उठा सकते हैं, ये सभी ऐसे मामले हैं जिन पर हम चर्चा नहीं करेंगे।

इस मुद्दे को उठाने का अधिकार। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने अपने 25 तारीख के आदेश में जुलाई 2014 में कहा गया कि "जहां तक मुआवजे का सवाल है

अपीलार्थियों द्वारा किए गए सुधारों का संबंध है, अपीलार्थी कानून के अनुसार अपनी शिकायतों के निवारण के लिए एक उचित उपाय करने के लिए स्वतंत्र थे। इस न्यायालय के आदेश में निहित इन टिप्पणियों का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि यदि अपीलकर्ता इस तरह का दावा करते हैं तो प्रतिवादी रचनात्मक न्यायिक याचिका स्थापित करने के अपने अधिकार से वंचित हो जाएंगे। अपीलार्थी, जैसा कि इस न्यायालय ने कहा, "कानून के अनुसार अपनी शिकायतों के निवारण के लिए उचित उपाय" करने के लिए स्वतंत्र थे। यह अवश्य होना चाहिए

इसका अर्थ यह है कि उत्तरदाताओं के सभी बचाव

अपीलार्थियों द्वारा उपचार का आह्वान निर्णय के लिए खुला रखा गया था। इस न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता एकतरफा नहीं थी। इसमें शामिल हैं

अपीलार्थियों की सहायता लेने की क्षमता और उत्तरदाताओं की उपचार के आह्वान के लिए आवश्यक बचाव करने की क्षमता दोनों। इसलिए, हम अपीलार्थियों की ओर से अनुरोध किए गए प्रस्तुतिकरण में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि केरल उच्च न्यायालय का पूर्व निर्णय और इस न्यायालय का आदेश प्रतिवादियों को रचनात्मक न्यायपालिका का बार उठाने से रोकता है।

23. इस आधार को स्पष्ट करने के बाद, अब हम 1958 के अधिनियम में निहित प्रावधानों का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अधिनियम, जैसा कि इसके लंबे शीर्षक से पता चलता है, "मुआवजे के भुगतान के लिए प्रावधान करने के लिए" लागू किया गया है।

केरल राज्य में किरायेदारों द्वारा किए गए सुधार "। धारा 2 (बी) निम्नलिखित शब्दों में "सुधार" अभिव्यक्ति को परिभाषित करती हैः

" (ख) "सुधार" से किसी कार्य का कोई भी कार्य या उत्पाद अभिप्रेत है जो धारण के मूल्य में वृद्धि करता है, उसके लिए उपयुक्त है और उस उद्देश्य के अनुरूप है जिसके लिए धारण पट्टे पर दिया गया है, गिरवी रखा गया है या कब्जा किया गया है, लेकिन इसमें ऐसी मंजूरी, तटबंध, समतल करना शामिल नहीं है। बाड़, अस्थायी कुएँ और जल-चैनल जो किरायेदार द्वारा खेती के सामान्य क्रम में और बिना किसी विशेष खर्च या भूमि से उपार्जित किसी अन्य लाभ के बनाए जाते हैं।

पशुपालन के सामान्य कार्यः "

धारा 2 (डी) "किरायेदार" अभिव्यक्ति को निम्नानुसार परिभाषित करती हैः

“ (घ) "किरायेदार" अपनी व्याकरणिक भिन्नताओं और संज्ञानात्मक के साथ

अभिव्यक्तियों में शामिल हैं ((i) एक व्यक्ति जो पट्टेदार, उप-पट्टेदार, बंधककर्ता या उप-बंधककर्ता के रूप में या अच्छे विश्वास के साथ खुद को पट्टेदार मानता है,

पट्टेदार, भूमि का बंधक, उसके कब्जे में है;

((ii) एक ऐसा व्यक्ति जिसका समर्पण करने का वास्तविक इरादा हो और

खेती करने या किराए पर देने के हकदार व्यक्ति को उचित किराया देना। अपशिष्ट-भूमि, लेकिन ऐसे व्यक्ति की अनुमति के बिना, इस तरह लाता है

भूमि, जो खेती के अधीन है और कृषक के रूप में उसके कब्जे में है;

और ((iii) एक व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर कब्जा कर लेता है और उस पर प्रामाणिक विश्वास में सुधार करता है।

कि वह इस तरह के सुधार करने का हकदार है।

24. धारा 2 (घ) में "किरायेदार" अभिव्यक्ति को व्यापक अर्थों में परिभाषित किया गया है। उदाहरण के लिए, इसमें एक व्यक्ति शामिल है जो अच्छे विश्वास में विश्वास करता है।

स्वयं भूमि का पट्टेदार, उप-पट्टेदार या गिरवी रखने वाला होने के नाते, उसके कब्जे में है। इसी तरह, इसमें एक व्यक्ति शामिल है जो किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना है। खेती करने या बर्बाद करने का अधिकार-भूमि खेती के तहत आती है और खेती करने के हकदार व्यक्ति को उचित किराया देने और भुगतान करने के प्रामाणिक इरादे के तहत कब्जे में है। परिभाषा में एक ऐसा व्यक्ति शामिल है जो दूसरे की भूमि पर कब्जा कर लेता है और इस प्रामाणिक विश्वास में सुधार करता है कि वह उन सुधारों को करने का हकदार है। इसी तरह, धारा 3 कुछ कार्यों या ए. एस. जी. ए. आर. और ओ. आर. एस. को परिभाषित करती है।

वी. मोहन वर्मा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

जिन कार्यों को अधिनियम के उपयोग के लिए सुधार माना जाएगा। धारा 3 निम्नलिखित शब्दों में हैः

" 3. जिसे सुधार माना जाता है। - जब तक इसके विपरीत नहीं दिखाया जाता है, तब तक निम्नलिखित कार्यों या ऐसे कार्यों के उत्पादों को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुधार माना जाएगाः

(क) आवासों, उनके निकटवर्ती भवनों का निर्माण

और कृषि भवन;

(ख) कृषि या घरेलू कार्यों के लिए पानी के भंडारण या आपूर्ति के लिए तालाबों, कुओं, नहरों, बांधों और अन्य कार्यों का निर्माण। उद्देश्य;

((ग) सिंचाई के लिए भूमि की तैयारी; ((घ) एक फसल को दो फसल वाली भूमि में परिवर्तित करना।

(ई) जल निकासी, विपरीत या अन्य जल से सुधार या बाढ़ या कटाव या पानी से अन्य क्षति से सुरक्षा, कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि, या अपशिष्ट भूमि जो संवर्धित है;

(च) सुधार, निकासी, घेराव या स्थायी

कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि का सुधार;

(छ) पूर्वगामी कार्यों में से किसी का नवीकरण या पुनर्निर्माण

उसमें परिवर्तन या परिवर्धन; और

(ज) फलों के पेड़ों, लकड़ी के पेड़ों और अन्य उपयोगी पेड़ों और पौधों का रोपण या संरक्षण और रखरखाव।

25. धारा 4 और 5 का वर्तमान ओवरसी पर एक सामग्री असर पड़ता है और इसलिए नीचे निकाला गया हैः

" 4. किरायेदार सुधार के लिए मुआवजे का हकदार है। - (1) प्रत्येक

बेदखल होने पर किरायेदार मुआवजे का हकदार होगा।

जो सुधार उसके द्वारा किए गए थे, उसके पूर्ववर्ती-ब्याज में या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो बेदखली के समय कब्जे में नहीं था, जिसने उनमें से किसी से भी स्वामित्व प्राप्त किया था और जिसके लिए पहले से ही मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया था, और प्रत्येक किरायेदार जिसे इस तरह से मुआवजा देय है, भुगतान की किरायेदारी या बंधक राशि या प्रीमियम की निविदा, यदि कोई हो, के निर्धारण के बावजूद, बेदखली तक कब्जे में रहने का हकदार होगा। न्यायालय की डिक्री या आदेश के निष्पादन में:

बशर्ते कि यह धारा सरकार के अधीन भूमि धारण करने वाले किरायेदारों पर लागू नहीं होगी, (2) इस प्रकार कब्जा में रहने वाला किरायेदार, इस तरह के जारी रहने के दौरान, अपने पट्टे या बंधक, यदि कोई हो, की शर्तों के अधीन एक किरायेदार के रूप में रहेगा।

5. निष्कासन में आदेश भुगतान पर सशर्त होगा

क्षतिपूर्ति। - (1) एक किरायेदार के खिलाफ शुरू किए गए बेदखली के मुकदमे में जिसमें वादी सफल होता है और प्रतिवादी सुधार के लिए धारा 4 के तहत देय मुआवजे के लिए दावा स्थापित करता है, अदालत धारा 7 से 16 में प्रदान की गई मुआवजे की राशि का पता लगाएगी और इस तरह से देय पाई गई राशि की घोषणा करते हुए एक डिक्री पारित करेगी और आदेश देगी कि वादी द्वारा अदालत में भुगतान करने पर इस तरह से देय राशि और बंधक राशि भी।

प्रीमियम, जैसा भी मामला हो, प्रतिवादी वादी को उस पर सुधार के साथ भूमि के कब्जे में रखेगा।

(2) यदि ऐसे मुकदमे में अदालत को प्रतिवादी द्वारा वादी को किराए के लिए, या अन्यथा के संबंध में देय धन की कोई राशि मिलती है अधिभोग के लिए, न्यायालय उप-धारा (1) के तहत देय राशि के खिलाफ ऐसी राशि निर्धारित करेगा, और निम्नलिखित घोषित करते हुए एक डिक्री पारित करेगाः

बेदखली पर उसे देय राशि, यदि कोई हो तो, इस तरह के निलंबन के बाद प्रतिवादी को देय शेष राशिः

बशर्ते कि न्यायालय उपरोक्त किराए के लिए देय किसी भी राशि का निर्धारण नहीं करेगा, यदि ऐसी राशि कानूनी रूप से वसूली योग्य नहीं है। (3) सुधारों के लिए मुआवजे की राशि उस तारीख तक उप-क्रमबद्ध की गई है जिस तारीख तक सुधारों के लिए मुआवजे का निर्णय डिक्री में किया गया है और सुधार का पुनर्मूल्यांकन, जिसके लिए मुआवजे का इस तरह निर्णय लिया गया है, कब और जहाँ तक ऐसा पुनर्मूल्यांकन आवश्यक हो सकता है

बेदखली के समय ऐसे सुधार की शर्त के साथ-साथ किराए के लिए उक्त तिथि के बाद या अन्यथा किरायेदारी के संबंध में वादी को उपार्जित होने वाली किसी भी राशि का संदर्भ, डिक्री को निष्पादित करने वाले न्यायालय के आदेश द्वारा निर्धारित किया जाएगा और डिक्री ऐसे आदेश के अनुसार भिन्न होगी।

ए. एस. जी. आर. और ओ. आर. एस. वी. मोहन वर्मा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।]

(4) उप-धारा (3) के तहत उत्पन्न होने वाले प्रत्येक मामले को डिक्री के निष्पादन से संबंधित प्रश्न माना जाएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 47 की उप-धारा (1) का अर्थ।

26. धारा 4 की उप-धारा 1 में कहा गया है कि प्रत्येक किरायेदार,

बेदखली पर, उन सुधारों के लिए मुआवजे का हकदार होना जो थे

उसके द्वारा, या उसके पूर्ववर्ती द्वारा, ब्याज में या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया, जिसने भले ही बेदखली के समय कब्जे में नहीं था, लेकिन उनमें से किसी एक से उपाधि प्राप्त की है। उप-धारा 1 के तहत, ऐसा व्यक्ति, किरायेदारी के निर्धारण के बावजूद, किसी अदालत की डिक्री या आदेश के निष्पादन में बेदखली तक कब्जे में रहने का हकदार है। धारा 5 की उप-धारा 1 इंगित करती है कि एक किरायेदार के खिलाफ शुरू किए गए बेदखली के मुकदमे में जिसमें वादी सफल होता है और प्रतिवादी मुआवजे के लिए दावा करता है, अदालत को मुआवजे की राशि (धारा 7 से 16 के तहत) का पता लगाने की आवश्यकता होती है। अदालत तब एक डिक्री पारित करेगी जिसमें देय राशि की घोषणा की जाएगी और वादी द्वारा भुगतान पर

देय पाई गई राशि, प्रतिवादी वादी को उस पर सुधार के साथ भूमि के कब्जे में रखेगा। धारा 5 की उप-धारा 1 में निहित प्रावधानों से संकेत मिलता है कि मुआवजे की राशि का निर्धारण जो किरायेदार को देय है, अंतिम डिक्री के पारित होने से पहले होता है और वादी को अदालत में जमा किए गए मुआवजे पर सशर्त कब्जे में रखने का अधिकार होगा। धारा 5 की उप-धारा 2 वादी को प्रतिवादी द्वारा देय राशि के बदले किराए के लिए भुगतान की मांग करने में सक्षम बनाती है। जो मुआवजे के रूप में प्रतिवादी को देय पाया जाता है। धारा 5 की उप-धारा 3 एक ऐसी संभावना के लिए प्रावधान करती है जहां उस तारीख के बाद सुधार किए गए हैं, जिस तारीख तक सुधार के लिए मुआवजे का निर्णय डिक्री में किया गया है। डिक्री के पारित होने के बाद इस तरह के सुधारों के कारण, देय राशि होगी

उस डिक्री को निष्पादित करने वाले न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है जिस पर डिक्री ऐसे आदेश के अनुसार परिवर्तित की जाएगी।

27. 1958 के अधिनियम में निहित प्रावधान 'शम्मा भट्ट बनाम टी रामकृष्ण भट्ट' मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार के लिए आए। न्यायमूर्ति वी खालिद ने इस न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहाः

" 8 ..... धारा 5 तभी लागू होती है जब कोई प्रतिवादी जिसके खिलाफ बेदखली का मुकदमा दायर किया जाता है, उसके लिए दावा स्थापित करता है।

अधिनियम के तहत मुआवजा। उच्च न्यायालय का फैसला

7 (1987) 2 एस. सी. सी. 416 [2019] 2 एस. सी. आर.

1969 में प्रस्तुत किए गए संशोधन ने स्पष्ट रूप से माना है कि दिए गए सुधार का मूल्य अधिनियम की धारा 4 के तहत नहीं था, बल्कि वादी द्वारा सहमत राशि थी। अपीलार्थी सफल नहीं हो सकते हैं और हमें संतुष्ट करने में सफल नहीं हुए हैं कि उन्होंने कभी भी अधिनियम की धारा 4 के तहत मुआवजे का दावा किया है और इस तरह के दावे में सफल हुए हैं। इसलिए सुधार प्राप्त करने के लिए उनका आगे का दावा पुनर्मूल्यांकन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। 8

28. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी अब जो दावा करना चाहते हैं वह यह है कि धारा 4 (1) के प्रावधानों के अनुसरण में, वे इसके हकदार हैं -

मुआवजे के लिए उनके दावे तक कब्जे में रहें

भूमि में किए गए सुधारों पर निर्णय लिया जाता है। जैसा कि हमने पहले पाया है, अपीलकर्ताओं ने 2009 के निष्पादन आवेदन 38 में जो दावा किया था, वह विशेष रूप से यह घोषणा करने के लिए था कि वे पट्टेदार के रूप में कब्जे में रहने के हकदार थे और प्रतिवादी इसके हकदार नहीं थे। उन्हें उनके कब्जे वाली संपत्ति से बेदखल कर दें। हालाँकि उन्होंने पट्टेदार के रूप में अपने चरित्र में उस दावे पर जोर देना चाहा, लेकिन जिस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या 1958 के अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत मुआवजे का दावा पहले की कार्यवाही में किया जा सकता था।

और तब दावा किया जाना चाहिए था। 29. स्पष्टीकरण IV के साथ सी. पी. सी. की धारा 11 का मूल भाग इस प्रकार प्रदान करता है:

" 11. न्याय करें। - कोई भी न्यायालय ऐसे किसी भी वाद या मुद्दे का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्ष रूप से और पर्याप्त रूप से जारी किया गया मामला उन्हीं पक्षों के बीच पूर्व वाद में या उन पक्षों के बीच, जिनके तहत वे या उनमें से कोई एक ही शीर्षक के तहत मुकदमा लड़ रहा है, प्रत्यक्ष रूप से और पर्याप्त रूप से जारी किया गया है, ऐसे बाद के मुकदमे या उस मुकदमे का परीक्षण करने के लिए सक्षम न्यायालय में जिसमें ऐसा मुद्दा बाद में उठाया गया है।

और ऐसी अदालत द्वारा सुना गया है और अंत में निर्णय लिया गया है।

स्पष्टीकरण IV-ऐसा कोई भी मामला जिसे ऐसे पूर्व मुकदमे में बचाव या हमले का आधार बनाया जा सकता था और जिसे बनाया जाना चाहिए था, प्रत्यक्ष रूप से और पर्याप्त रूप से जारी किया गया मामला माना जाएगा।

ऐसे सूट में। ”

धारा 11 के तहत, एक मामला जो प्रत्यक्ष रूप से और

समान पक्षों के बीच या एक ही शीर्षक के तहत मुकदमा करने वाले पक्षों के बीच एक पूर्व मुकदमे में काफी हद तक मुद्दे को बाद में अदालत के समक्ष नहीं उठाया जा सकता है, जहां इस मुद्दे की सुनवाई की गई है और अंत में एक सक्षम अदालत द्वारा निर्णय लिया गया है। व्याख्या IV एक काल्पनिक कल्पना को लागू करती है। इसके परिणामस्वरूप

8 पेज 422 एएसजीएआर एंड ओआरएस पर आईडी।

वी. मोहन वर्मा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।]

एक ऐसा मामला जिसे पूर्व वाद में बचाव या हमले का आधार बनाया जा सकता था और जिसे बनाया जाना चाहिए था, ऐसे वाद में प्रत्यक्ष रूप से और पर्याप्त रूप से मुद्दा माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, व्याख्या IV तब आकर्षित होती है जब जुड़वां स्थितियाँ संतुष्ट होती हैंः मामला ऐसी प्रकृति का होना चाहिए जिसे पूर्व सूट में बचाव या हमले का आधार बनाया जा सकता था और बनाया जाना चाहिए था। न्यायमूर्ति एस रंगराजन (उस समय विद्वान न्यायाधीश के रूप में) दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम नगर निगम में दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के रूप में बैठे थे।

दिल्ली निगम ने इस विशेषता को देखाः

" 35 ..... प्रयुक्त शब्द-हो सकता है और होना चाहिए-संचयी हैं; वे विकल्प में नहीं हैं। यह एक सुस्थापित नियम है कि कोई भी याचिका जो अगर ली जाती तो पहले के मुकदमे में अधिकार के साथ असंगत या विनाशकारी होती, वह ऐसा मामला नहीं है जिसे उसमें उठाया जाना चाहिए क्योंकि भले ही इसे विकल्प में भी उठाया गया हो। इस पहलू को कामेश्वर में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति द्वारा समझाया गया था

पर्सद वी। राजकुमारी रुट्टन कोएर (आई. एल. आर. 20 कलकत्ता 79 पी. 85) . इसे केवल हमले या बचाव के आधार के रूप में उठाने की संभावना, कम से कम विकल्प में, पर्याप्त नहीं है; परीक्षण वह है जो अधिक बाध्यकारी है, अर्थात्, उक्त याचिका को हमले या बचाव के आधार के रूप में लिया जाना चाहिए था। ये

विशेषताएँ निश्चित रूप से प्रत्येक के विशेष तथ्यों पर निर्भर करेंगी।

मामला। ” 10

"हो सकता है और होना चाहिए" शब्दों का उपयोग संयोजी अर्थों में किया जाता है। वे दर्शाते हैं कि कोई मामला ऐसी प्रकृति का होना चाहिए जिसे बचाव या हमले के आधार के रूप में उठाया जा सकता था और पहले के मुकदमे में उठाया जाना चाहिए था।

30. "शक्ति और आवश्यकता" की आवश्यकता का अर्थ 1892 के एक निर्णय में प्रिवी काउंसिल द्वारा कामेश्वर पर्शद बनाम राजकुमारी में लगाया गया था। रत्तन कोएर 1 1. प्रिवी काउंसिल के लिए बोलते हुए लॉर्ड मॉरिस ने इस प्रकार कहाः

“ यह स्पष्ट है कि यह "हो सकता है", हमले का आधार बनाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह "होना चाहिए" प्रत्येक मामले के विशेष तथ्य पर निर्भर करता है। जहाँ मामले ऐसे हैं इसके विपरीत कि उनके मिलन से भ्रम पैदा हो सकता है, "चाहिए" शब्द का निर्माण महत्वपूर्ण हो जाएगा; इस मामले में

9 आई. एल. आर. (1975) II दिल्ली 174

10 1 पृष्ठ 194 पर 0 आईडी 1892 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. सी. 16 [2019] 2 एस. सी. आर.

मामले एक जैसे थे। यह केवल पुन बहादुर पर दायित्व अधिरोपित करने का एक वैकल्पिक तरीका था, और उनके प्रभुओं को यह प्रतीत होता है कि इस मामले को पूर्व मुकदमे में हमले का आधार बनाया जाना चाहिए था, और इसलिए इसे मामले में "प्रत्यक्ष रूप से और काफी हद तक मुद्दा माना जाना चाहिए"। पूर्व मुकदमा, और न्याय संगत है।

" 12

इस विषय पर शास्त्रीय उक्ति निर्णय आईग्राम, वी. सी. में हेंडरसन बनाम हेंडरसन 1313 में सूत्रीकरण पाती हैः

" ..... मेरा मानना है, मैं अदालत के नियम को सही ढंग से बताता हूं, जब मैं कहता हूं,

कि जहां कोई दिया गया मामला सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में मुकदमेबाजी और उसके द्वारा निर्णय का विषय बन जाता है, वहां न्यायालय उस मुकदमे के पक्षों से अपने पूरे मामले को सामने लाने की अपेक्षा करता है, और (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर) उन्हीं पक्षों को किसी ऐसे मामले के संबंध में मुकदमेबाजी का वही विषय खोलने की अनुमति नहीं देगा जिसे प्रतियोगिता में विषय के हिस्से के रूप में सामने लाया गया हो, लेकिन जिसे केवल इसलिए आगे नहीं लाया गया था क्योंकि उन्होंने लापरवाही, अनजाने में या दुर्घटना से भी अपने मामले के हिस्से को छोड़ दिया है। रेस जुडिकाटा की याचिका लागू होती है, सिवाय इसके कि

विशेष मामले, न केवल उन बिंदुओं पर जिन पर अदालत वास्तव में थी

पक्षों द्वारा एक राय बनाने और एक का उच्चारण करने के लिए आवश्यक है

निर्णय, लेकिन प्रत्येक बिंदु के लिए जो उचित रूप से मुकदमेबाजी के विषय से संबंधित था और जो पक्षकार, उचित परिश्रम का प्रयोग करते हुए,

हो सकता है उस समय इसे आगे लाया गया हो। ग्रीनहल्ग बनाम मालार्ड 1 4 में, लॉर्ड जस्टिस सोमरवेल, बोलते हुए

ई अपील न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" ..... मेरा मानना है कि जिन अधिकारियों को मैं निर्देश दूंगा, उनके बारे में यह कहना सही होगा कि इस उद्देश्य के लिए न्यायिक निर्णय केवल उन मुद्दों तक ही सीमित नहीं है जिन पर अदालत को वास्तव में निर्णय लेने के लिए कहा गया है, बल्कि यह उन मुद्दों या तथ्यों को शामिल करता है जो मुकदमे के विषय का इतना स्पष्ट रूप से हिस्सा हैं और इतना स्पष्ट रूप से उठाया जा सकता था कि यह अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा कि एक नए मामले की अनुमति दी जाए। उनके संबंध में कार्यवाही शुरू की जाएगी "।

जॉनसन बनाम गोर वुड एंड कंपनी (एक फर्म) 1 5 में, लॉर्ड बिंघम ने हेंडरसन के कथन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अंतर्निहित जनता

. आर. 313

7) 2 सभी ई. आर. 255

1] 2 डब्ल्यूएलआर 72 एएसजीआर और ओआरएस। वी. मोहन वर्मा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।]

यह न्यायिक प्रक्रिया में है (जैसा कि वास्तव में कार्रवाई रोकने और मुद्दे के कारण है)

पेल) में एक सामान्य तत्व हैः

" ..... अंतर्निहित सार्वजनिक हित एक ही हैः कि मुकदमेबाजी में अंतिमता होनी चाहिए और किसी पक्ष को एक ही मामले में दो बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए। इस जनहित को पक्षकारों और समग्र रूप से जनता के हित में मुकदमेबाजी के संचालन में दक्षता और अर्थव्यवस्था पर वर्तमान जोर देने से बल मिलता है। बाद की कार्यवाही में दावा करना या बचाव पक्ष को उठाना, बिना किसी अधिक के, दुरुपयोग के बराबर हो सकता है यदि अदालत संतुष्ट है (दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली पार्टी की जिम्मेदारी) कि दावा या बचाव पक्ष को पिछली कार्यवाही में उठाया जाना चाहिए था यदि इसे बिल्कुल भी उठाया जाना था। मैं यह स्वीकार नहीं करूंगा कि दुरुपयोग पाए जाने से पहले, संपार्श्विक हमले जैसे किसी भी अतिरिक्त तत्व की पहचान करना आवश्यक है। किसी पिछले निर्णय या कुछ बेईमानी पर, लेकिन जहां वे तत्व मौजूद हैं, बाद की कार्यवाही बहुत अधिक स्पष्ट रूप से अपमानजनक होगी, और शायद ही कभी दुरुपयोग का पता चलेगा जब तक कि बाद की कार्यवाही में वह शामिल न हो जिसे अदालत अन्यायपूर्ण मानती है।

एक पार्टी का उत्पीड़न। हालाँकि, यह मानना गलत है कि क्योंकि कोई मामला प्रारंभिक कार्यवाही में उठाया जा सकता था, इसलिए यह होना चाहिए था, ताकि बाद की कार्यवाही में इसे उठाना आवश्यक रूप से अपमानजनक हो। यह बहुत अधिक हठधर्मी दृष्टिकोण अपनाना है

मेरी राय में एक व्यापक, गुण-आधारित निर्णय क्या होना चाहिए जो शामिल सार्वजनिक और निजी हितों को ध्यान में रखता है और मामले के सभी तथ्यों को भी ध्यान में रखता है, इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करता है कि क्या सभी परिस्थितियों में, एक पक्ष है

अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग या दुरुपयोग करते हुए उसके सामने उस मुद्दे को उठाने की कोशिश की जाती है जिसे पहले उठाया जा सकता था। चूँकि कोई भी दुरुपयोग के सभी संभावित रूपों को व्यापक रूप से सूचीबद्ध नहीं कर सकता है, इसलिए कोई भी यह निर्धारित करने के लिए कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं बना सकता है कि दिए गए तथ्यों पर, दुरुपयोग पाया जाना है या नहीं। इस प्रकार मैं यह स्वीकार करूंगा कि धन की कमी सामान्य रूप से पहले की कार्यवाही में एक ऐसा मुद्दा उठाने में विफलता का बहाना नहीं होगी जो हो सकता था और होना चाहिए था। तब उठाया गया, मैं इसे अनिवार्य रूप से अप्रासंगिक नहीं समझूंगा,

विशेष रूप से यदि ऐसा प्रतीत होता है कि धन की कमी के कारण

वह पक्ष जिसके खिलाफ दावा करने की कोशिश की जाती है। हालांकि परिणाम अक्सर समान हो सकता है, लेकिन मेरे विचार में यह पूछना बेहतर है कि क्या कुल मिलाकर

एक पक्ष का आचरण पूछने की तुलना में एक दुरुपयोग है क्या आचरण एक दुरुपयोग है और फिर, यदि ऐसा है, तो यह पूछना कि क्या दुर्व्यवहार को विशेष परिस्थितियों द्वारा माफ किया जाता है या उचित ठहराया जाता है। उचित रूप से लागू किया गया, और इसके वंश की वैधता जो भी हो, नियम [2019] 2 एस. सी. आर. में है।

मेरा मानना है कि लोगों के हितों की रक्षा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

न्याय "।

लॉर्ड मिलेट ने इस प्रकार कहाः

" ..... किसी पक्ष को उस प्रश्न को फिर से प्रस्तुत करने की अनुमति देने से इनकार करना एक बात है जो पहले ही तय हो चुका है; उसे पहली बार एक ऐसे प्रश्न पर मुकदमा करने के अवसर से वंचित करना बिल्कुल अलग है जिस पर पहले निर्णय नहीं लिया गया है। यह उत्तरार्द्ध (हालांकि पहला नहीं) प्रथम दृष्टया सामान्य कानून द्वारा प्रदत्त और मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के संरक्षण के लिए कन्वेंशन (रोम, चौथा) के अनुच्छेद 6 द्वारा गारंटीकृत अदालत में नागरिक की पहुंच के अधिकार से इनकार है। नवंबर 1950)। जबकि, इसलिए, इसकी सभी शाखाओं में रेस जुडिकाटा के सिद्धांत को उचित रूप से मूल कानून के नियम के रूप में माना जा सकता है, जो सभी में लागू होता है।

असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, अब सिद्धांत के तहत न्यायालय की प्रक्रिया को दुरुपयोग से बचाने की आवश्यकता के आधार पर विचार एक प्रक्रियात्मक नियम से अधिक नहीं हो सकता है और

उत्पीड़न से प्रतिवादी "।

31. श्री गिरि ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के उपरोक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए आग्रह किया कि "शक्ति और चाहिए" अभिव्यक्ति का अर्थ यह है कि

न्यायालय के लिए न्यायपालिका और रचनात्मक न्यायपालिका के बीच मौलिक अंतर को ध्यान में रखना आवश्यक है। उन्होंने आग्रह किया कि जबकि पूर्व में एक ऐसा मामला शामिल है जो प्रत्यक्ष रूप से और

समान पक्षों के बीच पिछले मुकदमे में काफी हद तक मुद्दे में और उस पर निर्णय लिया गया है, बाद वाला एक काल्पनिक कल्पना लाता है जिसके अनुसार एक मामला जो पिछले मुकदमे में आगे बढ़ाया जा सकता था और होना चाहिए था, उसे सीधे और पर्याप्त रूप से मुद्दा माना जाएगा। इसलिए वह आग्रह करते हैं कि रचनात्मक रेस जुडिकाटा के सिद्धांत के अनुप्रयोग में कुछ हद तक चौकसी का प्रयोग किया जाना चाहिए।

32. हम इस प्रश्न पर प्राथमिकता से निर्णय लेने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

इस साधारण कारण पर विचार करते हुए कि सी. पी. सी. के तहत, दोनों न्यायिक (धारा 11 के मूल भाग में) और रचनात्मक न्यायिक (स्पष्टीकरण IV में) नागरिक प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले कानून के वैधानिक सिद्धांतों के रूप में सन्निहित हैं। कानून की मूल नीति यह है कि मुकदमेबाजी को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। मुकदमेबाजी की बहुलता, दुर्भाग्य से डिक्री धारक के लिए, उन लोगों के लाभ को सुनिश्चित करती है जो डिक्री के फल को उन लोगों तक पहुँचाने में देरी करना चाहते हैं जिनके लिए डिक्री अभिप्रेत है।

रचनात्मक एएसजीएआर और ओआरएस। वी. मोहन वर्मा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

रेज़ जुडिकाटा, उसी तरह जैसे रेज़ जुडिकाटा में अंतर्निहित सिद्धांतों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मुकदमेबाजी में हमले या बचाव के आधार को उसी कार्यवाही में से किसी एक में लिया जाना चाहिए। एक पार्टी जो ऐसा करने से बचती है, वह अपने जोखिम पर ऐसा करती है। यह निर्णय लेने में कि क्या पहले की कार्यवाही में किसी मामले का आग्रह किया गया होगा, अदालत को खुद से पूछना चाहिए कि क्या इसका आग्रह किया जा सकता था। यह तय करने में कि क्या मामले का आग्रह पिछली कार्यवाही में किया जाना चाहिए था, अदालत को पिछली कार्यवाही के दायरे और विवाद की प्रकृति के साथ संबंध को ध्यान में रखना होगा। यह अभिनिर्धारित करते हुए कि किसी मामले को पूर्ववर्ती कार्यवाहियों में हमले या बचाव के आधार के रूप में लिया जाना चाहिए था, न्यायालय संकेत दे रहा है कि मामला ऐसी प्रकृति और चरित्र का है और पूर्ववर्ती मामले में विवाद के साथ ऐसा संबंध रखता है कि उस कार्यवाहियों में इसे उठाने में विफलता पक्ष को भविष्य में इसे आंदोलन करने से रोक देगी। 33. यू. पी. बनाम नवाब हुसैन 1 के मामले में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने उल्लेख किया कि न्यायपालिका और रचनात्मकता के दो सिद्धांत

न्यायपालिका मुकदमेबाजी को अंतिम रूप देने के सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती है। न्यायमूर्ति पी. एन. सिंघल ने कहाः

" 3. एस्टोपेल पर रेम जुडिकटम का सिद्धांत एक नियम है

सबूत। जैसा कि मार्जिन्सन बनाम में कहा गया है। ब्लैकबर्न

बरो काउंसिल [(1939) 2 के. बी. 426 पी. 437] , इसे "साक्ष्य का व्यापक नियम कहा जा सकता है जो कार्रवाई के कारण की पुनः पुष्टि को प्रतिबंधित करता है"। यह सिद्धांत दो सिद्धांतों पर आधारित हैः (i) अंतिम निर्णय के लिए न्यायिक निर्णयों की अंतिमता और निर्णायकता।

समुदाय के सामान्य हित में विवादों की समाप्ति सार्वजनिक नीति के मामले में, और (ii) व्यक्ति के हित के रूप में

कि उसे मुकदमेबाजी के कई गुना बढ़ने से बचाया जाना चाहिए। इसलिए यह उन मामलों को फिर से खोलने में बाधा डालते हुए न केवल एक सार्वजनिक बल्कि एक निजी उद्देश्य की भी सेवा करता है जिन पर एक बार निर्णय लिया गया था। इस प्रकार एक सेकंड प्राप्त करने की अनुमति नहीं है।

कार्रवाई के एक ही कारण पर एक ही नागरिक राहत के लिए निर्णय, अन्यथा विवाद की भावना समान अधिकार के परस्पर विरोधी निर्णयों को जन्म दे सकती है, कई कार्यों का कारण बन सकती है और न्याय के प्रशासन को बदनाम कर सकती है। यह कार्रवाई का कारण है जो एक कार्रवाई को जन्म देता है, और इसलिए अदालतों के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि कार्रवाई का कारण जो एक निर्णय में परिणाम देता है, उसे अपनी पहचान और जीवन शक्ति खोनी चाहिए और इसमें विलय करना चाहिए

16 (1977) 2 एस. सी. सी. 806 [2019] 2 एस. सी. आर.

जब निर्णय सुनाया जाता है। इसलिए यह जीवित नहीं रह सकता है

निर्णय, या समान तथ्यों पर कार्रवाई के किसी अन्य कारण को जन्म दें। यह वह है जिसे रेस जुडिकाटा के सामान्य सिद्धांत के रूप में जाना जाता है।

" मेरा मानना है कि जिन अधिकारियों को मैं निर्देश दूंगा, उनके बारे में यह कहना सही होगा कि इस उद्देश्य के लिए न्यायपालिका उन मुद्दों तक ही सीमित नहीं है जिन्हें अदालत को वास्तव में तय करने के लिए कहा जाता है, बल्कि यह उन मुद्दों या तथ्यों को शामिल करता है जो स्पष्ट रूप से विषय का हिस्सा हैं। मुकदमे का मामला और इतना स्पष्ट रूप से उठाया जा सकता था कि यह अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा ताकि एक नए मुकदमे की अनुमति दी जा सके।

उनके संबंध में कार्यवाही शुरू की जाएगी।

इसलिए यह उसी सिद्धांत का एक और और समान रूप से आवश्यक और प्रभावी पहलू है, क्योंकि यह एक विवादास्पद वादी को वश में करने के सामान्य सिद्धांत को उपयुक्त रूप से समझते हुए न्याय व्यवस्था के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। यही कारण है कि इस अन्य नियम को कभी-कभी रचनात्मक रेस जुडिकाटा के रूप में संदर्भित किया गया है, जो वास्तव में है

सामान्य सिद्धांत का एक पहलू या प्रवर्धन। 17

डायरेक्ट रिक्रूट क्लास II इंजीनियरिंग में इस न्यायालय की संस्थान पीठ।

ers 'assn। v महाराष्ट्र राज्य 1 8 ने एक के निर्णय को संदर्भित किया

ई. फॉरवर्ड कंस्ट्रक्शन में इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ

प्रभात मंडल (रेग.), अंधेरी 1 9 और निम्नलिखित का उल्लेख किया

कानून में:

" 20 ..... एक निर्णय न केवल निर्धारित वास्तविक मामले के बारे में बल्कि प्रत्येक अन्य मामले के बारे में निर्णायक और अंतिम है जो

पक्षकारों को मुकदमा करना चाहिए था और करना चाहिए था

आकस्मिक या अनिवार्य रूप से संबंधित के रूप में निर्णय लिया गया

मुकदमे की विषय वस्तु और आने वाला हर मामला

- पृष्ठ 809-810 0) 2 SCC 715: 6) 1 एस. सी. सी. 100 ए. एस. जी. आर. और ओ. आर. एस.

वी. मोहन वर्मा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

मूल कार्रवाई के वैध दायरे में दोनों में

दावा और बचाव के मामलों का सम्मान। "

(जोर दिया गया)

34. यह निर्धारित करने में कि क्या रचनात्मक रेस का बार

न्यायिक विवरण आकर्षित करता है, अपीलार्थियों द्वारा निष्पादन कार्यवाही में दायर किए गए पहले के आवेदन का विज्ञापन करना आवश्यक है। द.

अपीलकर्ताओं ने आवेदन को आदेश XXI नियम 99 के तहत एक के रूप में चिह्नित किया

सी. पी. सी. लेकिन यह, हमारे विचार में, की वास्तविक प्रकृति का निर्धारक नहीं है आवेदन। आदेश XXI नियम 97 निम्नानुसार प्रदान करता हैः

" 97. अचल संपत्ति के कब्जे के लिए प्रतिरोध या बाधा

संपत्ति। — (1) जहाँ अधिकार के लिए एक डिक्री का धारक अचल संपत्ति या बेची गई ऐसी किसी संपत्ति का खरीदार

एक डिक्री के निष्पादन में किसी भी व्यक्ति द्वारा विरोध या बाधा डाली जाती है

संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिए, वह एक आवेदन कर सकता है

न्यायालय को ऐसे प्रतिरोध या बाधा की शिकायत करने के लिए। [(2)

जहां उप-नियम (1) के तहत कोई आवेदन किया जाता है, वहां न्यायालय के अनुसार आवेदन पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ें

एतऽ निहित प्रावधान।] "

आदेश XXI नियम 99 इस प्रकार प्रदान करता हैः

ऐसी संपत्ति का या जहाँ ऐसी संपत्ति बेची गई है एक डिक्री का निष्पादन, उसके खरीदार द्वारा, वह एक बना सकता है

प्रावधानों के अनुसार आवेदन पर निर्णय लेना यहाँ निहित है।] "

35. ब्रह्मदेव चौधरी बनाम ऋषिकेश प्रसाद जैसवाल 2 1 में,

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि एकमात्र उपाय

या संपत्ति में ब्याज आदेश XXI नियम के तहत उपाय का पीछा करना है। 99 , अस्थिर था। अदालत ने माना कि एक डिक्री के लिए एक अजनबी है

अपनी शिकायत के लिए आंदोलन करने और निर्णय के लिए दावा करने का अधिकार

अवमूल्यन संपत्ति में स्वतंत्र अधिकार, स्वामित्व और ब्याज, इसके बाद भी

20 पृष्ठ 112 पर आई. डी.

21 (1997) 3 एससीसी 694 [2019] 2 एस. सी. आर.

आदेश XXI नियम 99 के अनुसार बेदखल। आदेश XXI 97 उस चरण से संबंधित है जो समर्पण के वास्तविक वितरण से पहले है और बाधा डालने वाले की शिकायत पर डिक्री धारक को कब्जे के वास्तविक वितरण से पहले निर्णय लिया जा सकता है। शब्दों में, उपचार के दोनों सेट एक अजनबी के लिए उपलब्ध हैं

ई. न्यायमूर्ति एस. बी. मजमुदार ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहाः

" 9 ..... उच्च न्यायालय ने इस संबंध में आदेश 21, नियम 97 की योजना को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है।

डिक्री के लिए ऐसा अजनबी आदेश 21, नियम 99 के तहत आता है और उसके पास आदेश से पहले अपने दावे का निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है।

बाधा डालने वाले की पूरी तरह से निंदा की जाएगी। अतः निष्पादन न्यायालय का ऐसा आदेश प्राकृतिक न्याय के बुनियादी सिद्धांतों का पालन न करने के आधार पर भी विफल हो जाएगा। इसके विपरीत, आदेश 21, नियम 97 सी. पी. सी. द्वारा परिकल्पित वैधानिक योजना, जैसा कि पहले चर्चा की गई है, स्पष्ट रूप से इस तरह के नुकसान के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है और डिक्री धारक के साथ-साथ बाधा डालने वाले को मामले में अपनी बात रखने और निष्पादन अदालत के समक्ष उचित निर्णय लेने के लिए एक वैधानिक उपाय प्रदान करती है और यह है कि निर्णय जो अपीलों के पदानुक्रम के अधीन है, ऐसी कार्यवाही और अलग मुकदमे के लिए पक्षों के बीच बाध्यकारी रहेगा।

कार्यवाही और समानांतर कार्यवाही से बचा जाता है और आदेश 21, नियम 97 से 103 द्वारा निर्धारित सरगम एक पूर्ण संहिता बनी रहेगी और संबंधित पक्षों के लिए अपनी शिकायतों को एक बार और हमेशा के लिए निष्पादन में हल करने का एकमात्र उपाय होगा। स्वयं कार्यवाही करते हैं। " 22

- पृष्ठ 702 एएसजीएआर एंड ओआरएस। वी. मोहन वर्मा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।]

36. आदेश XXI नियम 10123 के तहत, प्रश्नों सहित सभी प्रश्न

नियम 97 या नियम 99 के तहत एक आवेदन पर कार्यवाही के लिए पक्षों के बीच उत्पन्न संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व और हित से संबंधित या उनके

प्रतिनिधियों का निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा न कि एक अलग मुकदमे द्वारा। श्रीनाथ बनाम राजेश 2 में, न्यायमूर्ति ए. पी. मिश्रा, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए, "कोई भी व्यक्ति" अभिव्यक्ति की व्याख्या करते हुए।

नियम 97 में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया हैः

" 10 ..... हम उपखंड (1) के तहत "कोई भी व्यक्ति" अभिव्यक्ति पाते हैं।

जानबूझकर शक्ति के दायरे को व्यापक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि

निष्पादन न्यायालय आदेश 21 नियम 97 के तहत ऐसे किसी भी आवेदन में किए गए दावे पर निर्णय ले सकता है। इस प्रकार शब्दों के उपयोग से " इसमें वे सभी व्यक्ति शामिल हैं जो वितरण का विरोध करते हैं।

कब्जा, संपत्ति में अधिकार का दावा करना, यहां तक कि वे जो डिक्री से बाध्य नहीं हैं, जिसमें किरायेदार या अन्य व्यक्ति शामिल हैं जो संपत्ति पर अधिकार का दावा करते हैं। उनके अपने, एक अजनबी सहित। " 25

37. इन सिद्धांतों को हर विलास बनाम में दोहराया गया है।

महेंद्र नाथ 2, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आदेश XXI नियम 99 के प्रावधान संपत्ति के कब्जे में होने का दावा करने वाले तीसरे व्यक्ति के अधिकार को पराजित नहीं करेंगे, जो उसके आदेश में एक डिक्री का विषय है।

नियम 97 के तहत अपनी आपत्ति का निर्णय लेने का अपना अधिकार, इससे पहले एक स्तर पर विस्थापन।

23 आदेश XXI नियम 101 इस प्रकार प्रदान करता हैः निर्धारित किया जाने वाला प्रश्न। - नियम 97 या नियम 99 के तहत किसी आवेदन पर कार्यवाही करने वाले पक्षों या उनके प्रतिनिधियों के बीच उत्पन्न होने वाले और आवेदन के निर्णय से संबंधित सभी प्रश्न (संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व या हित से संबंधित प्रश्नों सहित) का निर्धारण आवेदन से संबंधित अदालत द्वारा किया जाएगा, न कि किसी अलग मुकदमे द्वारा और इस उद्देश्य के लिए, अदालत, उस समय लागू किसी अन्य कानून में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, ऐसे प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए अधिकार क्षेत्र में मानी जाएगी। आदेश XXI नियम 103 इस प्रकार प्रदान करता हैः आदेशों को फरमानों के रूप में माना जाना चाहिए। - जहां किसी आवेदन पर नियम 98 या नियम 100 के तहत निर्णय लिया गया है, वहां उस पर दिए गए आदेश का वही बल होगा और वह उसी शर्तों के अधीन होगा जो किसी अपील के लिए या अन्यथा जैसे कि वह एक डिक्री थी। 24 (1998) 4 एस. सी. सी. 543

25 पेज 549 पर आईडी

26 (2011) 15 एस. सी. सी. 377 [2019] 2 एस. सी. आर.

38. नुसेरवानजी ई में कानून की संक्षिप्त व्याख्या में

पूनेगर बनाम श्रीमती शिरीनबाई एफ. बेसेनिया ", न्यायमूर्ति आर. ए. जहांगीरदार ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के रूप में आदेश के नियम 101 की व्याख्या की। XXI:

" 10. ऊपर निकाले गए नियम से यह आसानी से देखा जा सकता है कि भाषा

नियम 101 के तहत निष्पादित करने वाले न्यायालय किसी भी प्रतिबंध के लिए योग्य या सुरक्षित नहीं हैं। दूसरी ओर यह दर्शाता है कि निष्पादन न्यायालय को उक्त नियम में उल्लिखित सभी प्रश्नों पर निर्णय लेने की आवश्यकता है जैसे कि उसके पास प्रत्येक प्रश्न से निपटने का अधिकार क्षेत्र था। ऐसा उत्पन्न हो सकता है। एक कानूनी कल्पना द्वारा, एक निष्पादन न्यायालय जिसके पास अन्यथा कोई अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता है, को अधिकार क्षेत्र के साथ निवेश किया जाता है -

उपरोक्त नियम के तहत सभी प्रश्नों का प्रयास करें। 28

39. कानून में तय स्थिति को देखते हुए, जैसा कि उपरोक्त निर्णयों से पता चलता है, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी हकदार थे, हालांकि

वे डिक्री के लिए अजनबी थे, अपने रहने के दावे को प्राप्त करने के लिए

डिक्री से स्वतंत्र संपत्ति का कब्जा, निष्पादन कार्यवाही के दौरान निर्णय लिया गया। वास्तव में अपीलकर्ताओं ने ऐसा दावा किया था। उन्होंने पट्टेदारों के चरित्र में कब्जे में रहने के लिए अपनी पात्रता की घोषणा की मांग की। आदेश XXI नियम 97 के तहत, वे अपने आदेश से पहले ही एक स्वतंत्र दावा करने के हकदार थे।

विस्थापन। आदेश XXI नियम 101 के तहत, सभी प्रश्नों पर आवेदन से निपटने वाली अदालत द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए, न कि एक अलग मुकदमे द्वारा। नियम 101 में निर्दिष्ट प्रश्नों के निर्धारण पर, आदेश XXI नियम 98 न्यायालय को आवश्यक आदेश जारी करने का अधिकार देता है। निर्णय का परिणाम नियम 103 के तहत एक डिक्री है।

27 एयर 1984 बम 357 28 पेज 359 एएसजीएआर एंड ओआरएस पर आईडी।

वी. मोहन वर्मा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

कार्यवाही के पहले दौर में किया जाना चाहिए था। आदेश XXI नियम 97 से 103 के प्रावधान एक पूर्ण संहिता का गठन करते हैं और एक मुकदमे के पक्षों और एक डिक्री के लिए एक अजनबी दोनों को एकमात्र उपाय प्रदान करते हैं। अधिकार, अधिकार और हित से संबंधित सभी प्रश्न, जिनके बारे में अपीलकर्ताओं ने दावा किया था, पहले के निष्पादन आवेदन में आग्रह किया जाना था और उसमें निर्णय लिया जाना था। कोई अन्य दृष्टिकोण रखने से केवल कार्यवाही की बहुलता होगी और डिक्री धारक द्वारा डिक्री के फल को प्राप्त करने में अंतहीन रूप से देरी होगी।

41. यह दृष्टिकोण जिसे हमने सुसंगतता के बाद अपनाया है

आदेश XXI के नियम 97 से 103 पर पूर्ववर्ती रेखा 1958 के अधिनियम के प्रावधानों द्वारा समर्थित है। धारा 4 (1) के तहत एक दावे को अदालत को संबोधित किया जाना है जो बेदखली के लिए एक डिक्री पारित करता है। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी डिक्री के लिए अजनबी हैं। उन्हें अपने निष्पादन आवेदन के दौरान उस दावे पर निर्णय लेने की आवश्यकता थी जो आदेश XXI नियम 97 के प्रावधानों के लिए संदर्भित था। होने के नाते

उस स्तर पर दावे का दावा करने में विफल रहने पर, धारा 11 के स्पष्टीकरण IV में निहित काल्पनिक कल्पना स्पष्ट रूप से आकर्षित होती है। एक ऐसा मुद्दा जिस पर अपीलकर्ताओं ने पहले दौर में जोर दिया होगा और होना चाहिए था।

कार्यवाहियों को प्रत्यक्ष रूप से और काफी हद तक मुद्दा माना जाता है। उच्च न्यायालय, मामले के इस दृष्टिकोण में, इस निष्कर्ष पर पहुंचने में पूरी तरह से उचित था कि अपीलकर्ताओं की दावा करने में विफलता के परिणामस्वरूप 1958 के अधिनियम की धारा 4 और 5 के प्रावधानों और सी. पी. सी. के आदेश XXI नियम 97 से 101 के प्रावधानों दोनों को ध्यान में रखते हुए रचनात्मक न्यायपालिका के सिद्धांत को लागू किया जाएगा।

42. उपरोक्त कारणों से, हम अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। द.

अपील खारिज कर दी जाएगी। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

या

चिका खारिज कर दी गई।

अंकित ज्ञान